

फर्द अहकाम
(नियम 26)

प्राथमिक 341903 अधिकांश मुकाम लूणी
 कुमार शाला बनाम धराल
 मुकदमा नं. 50/18 सन 2018
 136 CR 2018

हुक्म या कार्यवाही मया इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

प्राथमिक प्रार्थनापत्र एवं रिपोर्ट किया
 जाते प्रार्थनापत्र में गांधी नगर के सदस्य
 ने इकेड के सदस्य के बचपान दिनांक 23
 अक्टूबर 1956 को मेल जाते नदीधरणी
 इकाय पत्रावली दिनांक 25/9/18 को देखा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
 लूणी

प्राथमिक ने जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र
 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्राथमिक
 गण प्रकरण को विद्रो कराना चाहते हैं
 प्रकरण में तहसीलदार लूणी की तथ्यात्मक
 रिपोर्ट दिनांक 26.9.2018 को प्राप्त हो चुकी
 है, जो शामिल प्रभावली की गई।

प्राथमिक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना
 पत्र का अंशलोकन किया गया। प्राथमिक
 गण के प्रार्थना पत्र के आधार पर
 प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसूचित धारा 136
 राजस्थान अधिनियम 1956
 खारिज किया जाता है। प्रभावली फिलहाल
 सुकार लेकर दाखिले दफ्तर है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
 लूणी